

समाहरणालय मुंगेर।

(जिला योजना कार्यालय)

आदेश

एकीकृत कार्य योजनान्तर्गत जिला चयन समिति द्वारा चयनित निम्नांकित पहुंच पथो के निर्माण हेतु कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर सम्यक विचारोपरान्त प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त की जाती है तथा योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को कार्यकारी एजेंसी नामित करते हुए अग्रलिखित शर्तों के साथ राशि विमुक्ति का आदेश दिया जाता है।

| क्र० | प्रखंड | योजना का नाम | तकनीकी स्वीकृति की राशि | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | विमुक्त की जा रही राशि |
|------|--------|---|-------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | धरहरा | लडैयाटांड में बन रहे सामुदायिक भवन तक पहुँच पथ का निर्माण | 2974800.00 | 2974800.00 | 1487000.00 |

कुल विमुक्त की जा रही राशि मो०-1487000.00 (चौदह लाख सतासी हजार) रू० मात्र।

कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को अग्रलिखित शर्तों के अधीन इस योजना का कार्य कराने का आदेश दिया जाता है—

शर्तें—

1. कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर यह सुनिश्चित करेंगे कि एकीकृत कार्य योजना के मार्गदर्शिका के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
2. कार्यकारी एजेंसी योजनाओं का कार्य निविदा के माध्यम से प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप कराना सुनिश्चित करेंगे तथा वे इसके लिये पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
3. राशि का संधारण एवं व्यय बिहार वित्तीय नियमावली के तहत किया जाय।
4. किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन अयन्त्र नहीं होगा।
5. कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्य स्थल पर कार्य प्रारंभ कराये जाने के साथ साईन बोर्ड लगाया जायेगा जिसपर योजना का नाम, योजना का मद, प्राक्कलित राशि कार्यकारी एजेंसी का नाम, संवेदक का नाम तथा योजना पूर्ण होने की तिथि अंकित की जायेगी।
6. योजना का कार्य प्रारंभ किये जाने के पूर्व इसका रंगीन फोटो लिया जाय तथा इसे अभिलेख में रखा जाय। इसी प्रकार एक रंगीन फोटो कार्य के मध्य में तथा एक फोटो योजना पूर्ण होने के पश्चात् लिया जाय और इसे अभिलेख के साथ संलग्न कर रखा जाय।
7. योजना का कार्य अगले तीन माह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
8. योजना का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की तीसरी तारीख तक निश्चित रूप से जिला योजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।
9. कार्यकारी एजेंसी यह सुनिश्चित हो लेंगे कि योजना स्थल विवाद रहित हो।
10. कार्यकारी एजेंसी यह सुनिश्चित हो लेंगे कि योजना का स्थल पूर्णतः सरकारी भूमि है।
11. योजना पूर्ण होने के पश्चात् संबंधित विभाग को हस्तांतरित कराना सुनिश्चित करेंगे।

—

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

प्रतिलिपि- ज्ञापांक/जि०यो०, दिनांक.....
कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
कृपया जिला योजना कार्यालय से स्वीकृत राशि का चेक प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

६ -

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

प्रतिलिपि- ज्ञापांक/जि०यो०, दिनांक.....
नाजीर, जिला योजना कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को स्वीकृत राशि का चेक हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।

६ -

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

प्रतिलिपि- ज्ञापांक 508/जि०यो०, दिनांक 2/11/13.....
क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

६ -

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।